

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल—462004

भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017

आदेश


क्रमांक एफ 11-03/2017/2/34 :: शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 25 जनवरी 2017 के अनुसार कार्यालय प्रमुख अभियंता एवं कार्यालय मुख्य अभियंता तथा समसंख्यक आदेश दिनांक 15 जून 2017 के अन्तर्गत कार्यालय कार्यपालन यंत्री (खण्ड कार्यालय) के स्तर पर विभिन्न कार्यों की निविदाओं के आमंत्रण एवं निराकरण के लिये “निविदा प्रकोष्ठ” गठित किये गये हैं। राज्य शासन एतद् द्वारा विभिन्न कार्यों की निविदाओं का आमंत्रण किये जाने के लिये प्रकोष्ठवार पूर्व निर्धारित निविदा लागत की सीमा को संशोधित करते हुए निम्नानुसार निर्धारित करता है :—

- | | | |
|---|---|---|
| 1. प्रमुख अभियंता कार्यालय स्तरीय निविदा प्रकोष्ठ | — | रु. 5.00 करोड़ से अधिक। |
| 2. परिक्षेत्र कार्यालय स्तरीय निविदा प्रकोष्ठ | — | रु. 1.00 करोड़ से अधिक
एवं रु. 5.00 करोड़ तक। |
| 3. खण्ड कार्यालय स्तरीय निविदा प्रकोष्ठ | — | रु. 1.00 करोड़ तक की
निविदा लागत (P.A.C.)
वाली समस्त निविदायें। |

निविदाओं की स्वीकृति विभागीय नियम प्रक्रियाओं एवं वित्तीय सहिता में वर्णित शर्तियों के अनुसार की जाये।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(राजेश शाक्यवार)
26/10/2017


उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ. क्रमांक एफ 11-03/2017/2/34

भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017

प्रतिलिपि :—

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
2. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र. भोपाल।
3. मुख्य महाप्रबंधक, म.प्र. जल निगम मर्यादित, विध्याचल भवन, भोपाल।
4. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र भोपाल/इंदौर/जबलपुर/
ग्वालियर/विधायां, भोपाल।
5. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल, म.प्र.।
6. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंड, म.प्र.।


उप सचिव
26/10/2017

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग